

प्रैषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा नं.

प्रबन्धक,

आर०एस० गल्ड स्कूल, खजुरी,
राजातालाब, वाराणसी।

पत्रक/वैसिक/ ७२१३-१५

/2018-2019

दिनांक : ८/८/२०१८ सितम्बर, 2018

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोगन के लिये
निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के
अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 28-04-2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ
पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं आर०एस० गल्ड स्कूल, खजुरी, राजातालाब, वाराणसी
को सत्र 2018-19 से तीन शैक्षिक सत्रों तक के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अनन्तिम
अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की समूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यार्थीन हैं—

- 1- मान्यता की मजूरी वित्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात
मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाध्य 1) और निःशुल्क
और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाध्य 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत
तक आस-पड़ोस के कमज़ोर बर्गी और रुचिया-विहीन झग्हु के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और
उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैसा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों
के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी परिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक् वैक
खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संहेण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके
माता-पिता या संरक्षक को किसी ऊर्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का स्वृत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा
और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिहित
करेगा—
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में
फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई लोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की
जायेगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार
एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता वस्तु/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश
दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ
की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर
न्यूनतम् अर्हताये नहीं हैं, पौर्य वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताये अर्जित करेगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (viii) अध्यापक रव्वी को किसी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी हारा अधिकारित पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Md. S. Prakash
R.S. WORLD School
Rajaji Rajatalab,
Varanasi

R.S. WORLD Mahag
(क्रमांक: 2)

(2)

- 8- विद्यालय अधिनियम की अन्त-१७ में प्रतिविनियोग विद्यालय के मानकों और रानीयों को बताये रखेगा। अधिक विविधों को समय विविधों की वजे प्रबुद्धिमत्ता निभानुसार है-
- * विद्यालय एवं इसका का शब्दावली
 - * युवा विभिन्न शब्द
 - * वैज्ञानिक शब्द
 - * वैज्ञानिक शब्द वैज्ञानिक
 - * वैज्ञानिक शब्द संख्या
 - * प्राच्यावाद-सह लायलेट-सह प्राच्यावाद के लिये काजा
 - * वास्तव और कानूनिकाओं के लिये पृथक वैज्ञानिकलय
 - * वैज्ञानिक सुविधा
 - * विद्यालय एवं उपलब्ध की लिये रखें
 - * वास्तव रहित प्रदूष
 - * वैज्ञानिक एवं सामग्री/कौशल संलग्न उपस्करण/पुस्तकालय की उपलब्धता- है
- 9- विद्यालय के परिसरों के भौतिक या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-गान्धीजी प्राप्त कक्षाएं नहीं बनायी जायेगी।
- 10- विद्यालय अन्तीं या अन्य संरचनाओं या कौशल स्थल का प्ररोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाना है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीजेशन अधिनियम-1960 (1960 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण कियी जाएगी।
- 12- रक्षा की किसी घटना घटियों के समूह या समूम या मिस्ट्री अन्य व्यक्तियों ने लाल के लिये नहीं बताया जा सकता है।
- 13- विद्यालय के लेखाली को किसी चार्टर एकाउंट हासा संस्थानों की जानी आहिये और छात्रके द्वारा प्रभावित नियम जाना आहिये तथा उपर्याक्त लेखाली किसी विद्यालय विद्यार्थियों के अनुसार रीवाज किये जाने आहिये।
- 14- अपने नियमाला को आश्वित भव्यता कोड संखाक इकाय में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर ले।
- 15- विद्यालय एवं विद्यार्थी और यूवाना उसके कानून से लाल समय-समय पर शिक्षा विद्यार्थी/विद्यार्थी विद्यार्थी का वालन करता है, जो मान्यता समझी शर्ती के साथ अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय का कार्यकरण की किसी को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीजेशन के नवीकरण, यदि कोई भी दो सुनिश्चित किया जाव।
- 17- विद्यालय प्रबुद्धता द्वारा उसके कार्यक्रमों विविध विद्यार्थी, कार्यालय पर्यावरण, कार्यालय असत्य पायी जाने पर तत्पालन प्रभाव का होगा।

मादीव



(नियंत्रित)
विद्यालय विद्यार्थी/विद्यार्थी
विद्यार्थी/विद्यार्थी

उमी हिंदि बो।

R. S. W.

Rajesh
R. S. WORLD SCHOOL

(नियंत्रित)
विद्यालय विद्यार्थी/विद्यार्थी
विद्यार्थी/विद्यार्थी

R. S. W.

Manager

Mait

Principal
R. S. World School
Khajuri Rojataru, Varanasi

Rajesh